

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/तुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जुलाई 2014 — श्रावण 1, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-22/2014/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) के उपबंधों के अधीन राज्य में पूर्व से गठित निम्नानुसार नगर पंचायतों को, उनके जिला मुख्यालय होने के कारण, उक्त अधिनियम की धारा 5 (1) (क) में प्रवक्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें नगरपालिका परिषद् के रूप में घोषित करता है :-

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम (2)	जिला (3)
1.	बलरामपुर	बलरामपुर
2.	गरियाबंद	गरियाबंद
3.	कोवदा	देतेवाड़ा
4.	बीजापुर	बीजापुर
5.	सुकमा	सुकमा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेधानुसार,  
एच. एम. शिंदे, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्रमांक एक 1-22/2014/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक 1-72/2014/18 दिनांक 22-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इ. ए. मिश्र, उप-सचिव

Raipur, the 22nd July 2014

## NOTIFICATION

No. F1-22/2014/18.— In exercise of the powers conferred by Section 5(1)(A) of the Chhattisgarh Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961), State Government, hereby declare the following District Headquarter Nagar Panchayats as Municipal Council under the provision of Section 5 (1) (B) of Chhattisgarh Municipality Act, 1961 .-

S. No. (1)	Name of Nagar Panchayat (2)	District (3)
1.	Balrampur	Balrampur
2.	Gariaband	Gariaband
3.	Dantewada	Dantewada
4.	Bijapur	Bijapur
5.	Sukma	Sukma

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

## अधिसूचना

क्रमांक एक 1-22/2014/18.— छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) के उपबंधों के अन्तिम राज में पूर्व से गठित निम्नानुसार नगर पंचायतों को, उनके लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, उक्त अधिनियम की धारा 5 (1) (क) में प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा उन्हें नगरपालिका परिषद् के रूप में घोषित करता है :-

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम (2)	जिला (3)
1.	तिफरा	बिलासपुर
2.	रतनपुर	बिलासपुर

(1)	(2)	(3)
3.	कटघोरा	कोरबा
4.	नारायणपुर	नारायणपुर
5.	अहिरारा	दुर्ग
6.	सरायपाली	महासमुंद
7.	तखतपुर	बिलासपुर
8.	बागबाहरा	महासमुंद
9.	आरंग	रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. एम. शिंज, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 1-22/2014/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-22/2014/18 दिनांक 22-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. एम. शिंज, उप-सचिव

Raipur, the 22nd July 2014

#### NOTIFICATION

No. F 1-22/2014/18.— In exercise of the powers conferred by Section 5(1)(A) of the Chhattisgarh Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961), State Government, hereby declare the following Nagar Panchayats as Municipal Council under the provision of Section 5 (1) (B) of Chhattisgarh Municipality Act, 1961 due to their extension into wider town area:-

S. No. (1)	Name of Nagar Panchayat (2)	District (3)
1.	Tifra	Bilaspur
2.	Ratanpur	Bilaspur
3.	Katghora	Korba

(1)	(2)	(3)
4.	Narayanpur	Narayanpur
5.	Ahiwara	Durg
6.	Saraipali	Mahasamund
7.	Takhatpur	Bilaspur
8.	Bagbahara	Mahasamund
9.	Arang	Raipur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
M. M. MINJ, Deputy Secretary.